निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 23) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जनवरी 2019

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
3 जनवरी 2019

एस० ओ० 12, दिनांक 3 जनवरी 2019––बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कतीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए विकसित की जाने वाली इलैक्ट्रानिक प्रणाली अग्रसरण प्रक्रम पर है, इसे प्रचालित करने में कुछ और समय लगने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं ।

अतः, अब, बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, यथा :-

1. **संक्षिप्त नाम––** इस आदेश का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (तीसरा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।

2. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, “31 मार्च, 2019” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 जून, 2019”अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

2. यह आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–4)–42)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

3 जनवरी 2019

एस0 ओ0 12, दिनांक 3 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–4)–42)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 3rd January 2019

S.O. 12, Date 3rd January 2019— WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, through the electronic system to be developed is at the advanced stage, it may likely to take some more time for being made operational as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Bihar, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Bihar Goods and Services Tax (Third Removal of Difficulties) Order, 2018.

2. In section 44 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters and word “31st March, 2019”, the figures, letters and word “30thJune, 2019”shall be substituted.

3. This order shall come into force with effect from 31st December, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)-42)]
By the order of Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 23-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in